FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0166 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/06/2025 20:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 01/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:45 बजे **Time To (समय तक):** 15:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/06/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/06/2025 20:21:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 65 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** DUDHEE AAMLODA VIRATNAGAR, JILA KOTPUTLI-BEHROR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KALYAN SAHAY SAINI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MADAN LAL SAINI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DUDHEE AAMALODA, VIRATNAGAR, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DUDHEE AAMALODA, VIRATNAGAR, JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANOJ KUMAR MEENA		पिता:KAILASH CHAND	1. BADSHAHPUR POST BIHAZAR,VIRATNAGAR,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	MANMOHAN		पिता:HARSAHAY BHATI	1. WARD NO. 01,GOAN KALYANPURA MU.PO.DUDHEE,AAMLODA ,VIRATNAGAR,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 01.04.2025 को परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी पुत्र श्री मदनलाल सैनी, उम्र 37 साल निवास गांव-दूधी आमलोदा तहसील विराट नगर जिला कोटपूतली बहरोड ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ACB जयपुर ग्रामीण जयपुर, विषय- रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत महोदय निवेदन है कि मे कल्याण सहाय सैनी गांव-दूधी आमलोदा ते-वीराट नगर मू. पों दूधी आमलोदा का रहने वाला हूं मेने अपनी खातेदारी भूमि खाता सख्या 109,16,330,329 रहन रखकर SBI मनोहरपुर से KCC लेने हेतु अपनी फायल दिनांक 27/03/2025 को जमा कराई थी, बैंक वालो ने मेरा लोन फार्म मुझे देकर कहा कि आप इस फार्म को आपके हल्के पटवारी को जमा करा देना इस पर में दिनांक 27/03/2025 को हल्का पटवारी मनोज कुमार आमलोदा दूधी के पास गया तो उन्होने मूझे कहा कि यह फार्म तेहसिल वीराट नगर मे जाकर वहा के बाबू को दे देना जिसको मेने अपना उक्त फार्म तेहसील वीराट नगर के बाबूजी को दे दिया, जिसका मे नाम नहीं जानता हुँ वूसरे दिन मेंने पटवारी से 29/03/2025 को मेने फोन किया MOB.[redacted] पर कौल करके पूछा मेरे काम का क्या हुआ तो पटवारी ने कहा था की पेसे दिया बीना काम नहीं होगा मेनें पूछा कितना पेसा तो पटवारी ने कहा की पहले दिया था उतना दे देना मेने जब K.C.C लोन का आवेदन किया था तो तब भी पटवारी को 1500 रू दिये थे मे मेरे जायज काम के लिए पटवारी मनोज कुमार को रिस्वत नहीं देना चाहाता और रिस्वत लेते हुए को पकड़वाना चाहता हुँ मेरी पटवारी से कोई दुश्मनी नही है या रंजिस नही है और नाही कोई लेने देन है। मै रिपोरट करता हूँ कि आवश्यक कानूनी कार्वाई करने की कृपा करे प्रार्थी एस.डी./कल्याण सहाय सैनी नाम-कल्याण सहाय सैनी, पिता-मदनलाल सैनी, गांव-दूधी आमलोदा तेहसील वीराट नगर जिला-जयपुर दिनांक 01/04/2025 परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी ने दरियाफत पर बताया कि मेरे K.C.C.लोन के लिए सम्बन्धित दस्तावेजात पटवारी को दे दिए है परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई। इस पर नियमानुसार दिनांक 01.04.2025 को परिवादी के साथ श्री बन्नाराम कानि.137 को भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई। परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी तथा संदिग्ध पटवारी व अन्य के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गयी को दिनांक 03.04.2025 को परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर नियमानुसार फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गयी तो रिश्वत मांग सत्यापन को सुनने पर पाया गया कि दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के संदिग्ध पटवारी ने परिवादी को अन्य व्यक्ति के लिए कहा कि हाँ बोल काई कह रियो छ, अर तो बड जार करवार आतो ना आज कौनी, (हाँ बोल क्या कह रहा है, अरे तो वहा जा कर करवाकर आता) जिसके प्रतिउत्तर में परिवादी ने कहा कि बा करवार कौनी, पिसा सही बताओ थे, सही बताओ थे, बो बताया गो सही कोनी बताया(वो करवाकर नही, पैसे सही बताओ आप, सही बताओ आप,वो बताया था लेकिन सही नही बताया) जिस पर संदिग्ध पटवारी ने कहा कि काई कोनी बताया(क्या नही बताया)जिस पर परिवादी ने कहा कि "कम तो कराओ यार,घर का आदमी घर का आदमी कम तो करो यार,वाजिब बताओ काई देना छः,अब यार गरीब आदमी कि कोई काम कर दो भाई साहब"(कम करवावो यार, घर के आदमी है कम करवावो,सही बताओ कितने देने है,अब गरीब आदमी का कोई काम कर दो भाई साहब) जिस पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संदिग्ध पटवारी श्री मनोज कुमार कहा गया कि"तु कतरा देलो बता दे, जो तेरी ईच्छा बीया दे, हूँ"(आप कितना दोगे, जो तेरी इच्छा हो वैसे दे दे)जिस पर परिवादी ने कहा कि"वाजिब थे ही बता दो थारा गरीब आदमी" (गरीब आदमी है आप ही वाजिब बता दो) जिस पर बातचीत के दौरान संदिग्ध पटवारी ने कहा कि"जो भी तेरी इच्छा हो जिया"(जैसे तेरी इच्छा हो वैसे) लिया भाई तन ध्यान छ, छ भाई पिछली बार करवाया छा जद किता लिया छा तो बिमासु सौ पचास कम दे दे और काई (ले आ भाई आपको तो

ध्यान है, पिछले बार कितने दिये थे उसमें से 100-50 रूपये कम दे दो और क्या) परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य वार्ता के दौरान वहां पर उपस्थित श्री मनमोहन (प्राईवेट व्यक्ति)ने परिवादी से पूछा कि "पहले कतरा देर आयो छो"(पहले कितने देकर आया था)जिस पर परिवादी ने कहा कि 1500 तत्पश्चात प्राईवेट व्यक्ति ने कहा कि "1000 में सलटा दे अस्पष्ट वार्ता ...., चल 500 रूपये लिया जे तु, कोनी मारा " (1000 रूपये में निपटा दे अस्पष्ट वार्ता..............., चलो 500 रूपये ले आना आप तो, नही मारेंगे) इस पर संदिग्ध पटवारी श्री मनोज कुमार ने कहा कि "लिया 1000 लिया"(लेकर आजा 1000) और परिवादी को संदिग्ध पटवारी ने मनमोहन के लिए कहा कि"बाई तो कह रियो छु इन्ह दे देजया जे, यो दे देवलो मन्ह "(वो ही तो कह रहा हू इसको देकर चले जाना, यह दे देगा मेरे को)"अरे भाई कहरियो छु इन्ह दे दी जे" (अरे भाई कह रहा हू इसको दे देना) इस पर परिवादी ने संदिग्ध पटवारी से कहा कि "इन्ह दे दुला, थाने दे दुला कोई दिक्कत कोनी इसको दे दुगा,"(आप को दे दुगा, कोई दिक्कत नही है) जिस पर संदिग्ध पटवारी द्वारा परिवादी को कहा गया कि ठीक है । इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्किप्ट तथा रिकार्ड वार्ता से पाया गया कि परिवादी के वैध कार्य के एवज में संदिग्ध पटवारी श्री मनोज कुमार के द्वारा 1000/ रूपये की मांग करना तथा श्री मनमोहन प्राईवेट व्यक्ति को देने बाबत कहा गया है । तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट होने पर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही का निर्णय लेते हुए दिनांक 03.04.2025 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वति राशि 1000/ रूपये की नियमानुसार फर्द दृष्टांत फिनोफथलीन की कार्यवाही की जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व ब्यूरो टीम के सरकारी वाहनों से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ जहां पर संदिग्ध पटवारी के कार्यालय में मौजुद नहीं होना ज्ञात हुआ जिस पर परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी के मोबाईल नम्बर [redacted]से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर[redacted] पर परिवादी से कॉल करवाया गया तो संदिग्ध अधिकारी ने अवकाश पर होना बताया तथा चतुराई बरतते हुये परिवादी द्वारा अपने कार्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात में कमी होना बताया । तत्पश्चात परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी द्वारा संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत के रूप में मंगवाये पैसे के बारे में संदिग्ध अधिकारी को पूछा कि वो पेमेंट तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा प्रतिउत्तर में कहा गया कि मैं तो छुटटी पर हुं और मनमोहन से बात कर ले ।उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर खोलकर विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर को चालू करके रिकार्ड की गयी। परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी से की गई वार्ता तथा गोपनीय रूप से कार्यालय में उपस्थिति के बारे में पता करने से ज्ञात होने पर कि संदिग्ध अधिकारी अवकाश पर है अतः आईन्दा ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर परिवादी के पास संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि को नियमानुसार प्राप्त कर सुरक्षित रखा जाकर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी को वहीं पर छोडकर ब्यूरों कार्यालय हेतु रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा । दिनांक 07.04.2025 को परिवादी ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि पटवारी आज कार्यालय में मौजूद है तथा मुझे कार्यालय में पहूचने में समय लग जायेगा। अतः मैं आपको गांव के बाहर ही मिल जाउगा।इस स्वतंत्र गवाहान को तलब किया जाकर संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वति राशि जो दिनांक 03.04.2025 को कार्यालय आलमारी में रखवाया गया था।उक्त रिश्वति राशि को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री होशियार सिंह कानि.80 से निकलवाया जाकर श्री होशियार सिंह के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री होशियार सिंह के निजी बैग में सोडियम कार्बोनेट की डब्बे को रखवाया जाकर बैग को हमराह रखने की मुनासिब हिदायत की तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक राजकुमार शर्मा मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये दो सरकारी वाहन मय चालक मय श्री होशियार सिंह कानि. 80 के गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवानाशुदा ग्राम दुधी आमलोदा के बाहर पहुंचा जहां पर परिवादी मौजूद मिला। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी अपने कार्यालय में ही मौजूद है इस पर अग्रिम कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।तत्पश्चात परिवादी को दिनांक 03.04.2025 को सुपुर्द की हुई रिश्वति राशि जो ट्रेप कार्यवाही नहीं होने के कारण परिवादी से वापस प्राप्त कर सुरक्षित कार्यालय में वापस रखवाई गई थी जिसको मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त ट्रेप राशि के 1000/ रूपये को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री होशियार सिंह कानि. के पास सुरक्षित रखी हुई राशि को निकलवाकर पूर्व में तैयार की गई फर्द से मिलान कर श्री होशियार सिंह कानि0 80 से फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त 1,000/- रू परिवादी की पहनी हुई पेंट के सामने की दांयी जेब में रखवाए गए। परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी को रिश्वत लेन देन के समय आरोपी से होने वाली वार्ता रिकार्ड करने हेतु पूर्व से एसडी कार्ड लगे हुए विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुपुर्द किया गया और मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहन के पटवार भवन दुधी आमलोदा के लिए मय सरकारी वाहनों के रवाना हुआ। श्री होशियार सिंह कानि. 80 को मय उसके निजी बैग के वहीं पर मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत कर छोडा गया। समय 1.10 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ग्राम दुधी आमलोदा के अन्दर पटवार भवन के पास गली में आड पहुंचा जहां पर परिवादी को सरकारी वाहन से नीचे उतार कर पटवार भवन के लिए रवाना किया तथा पीछे -पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व स्वतंत्र गवाहान के पीछे-पीछे रवाना होकर पटवार भवन के आस पास बनी दुकानों के इर्द-गिर्द खडे होकर परिवादी के ईशारें के इंतजार में मुकिम हुआ। समय करीब 2.27 पीएम पर परिवादी बिना ईशारे किये ही पटवार भवन से बाहर आ गया और सरकारी वाहनों की तरफ रवाना हो गया इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आस पास खडे स्वतंत्र गवाहान तथा ब्यूरो टीम के सदस्यों को सरकारी

वाहनों की तरफ चलने का ईशारा कर परिवादी के पास पहुंच कर पूर्व में सुपुर्दशुदा विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा और मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान तथा स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के रवाना होकर ग्राम दुधी आमलोदा के बाहर की तरफ पहुंचा जहां पर परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं पटवारी घर में पहुंचा तो पटवारी जी कार्यालय में ही बैठे थे जिनसे मैने मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो पटवारी जी सरपंच से ओटीपी प्राप्त कर देने बाबत बताया तथा पटवार घर में गांव के अन्य व्यक्ति भी बैठे हुये थे मैं मन मोहन के पास भी गया था उसको भी पटवारी द्वारा काम करवाने बाबत बताया तो उसने मुझे कहा कि तुझे बताया वैसे तो किया नहीं तो दुबारा पैसे की बात कर ले और पटवारी गुस्सा हो गया क्या । मैं काफी देर तक पटवारी के पास बैठा रहा परन्तु पटवारी के पास अन्य व्यक्ति होने से तथा मेरे द्वारा उसके तय किए समय में उसके मागे अनुसार रिश्वत राशि नहीं पहुचाने पर संभवतया पटवारी मेरे पर गुस्सा हो रहा था बार बार सरपंच का नाम लेकर बहाना बना रहा था और वहां पर बैठा अन्य व्यक्ति कह रहा कि सरंपच की बुआ का लडका खत्म हो गया इस कारण सरपंच भी ओटीपी नहीं देगा। पटवारी जी द्वारा बार-बार सरपंच का नाम लेकर बहाना बनाने पर मैं काफी देर तक इंतजार करने के बाद वापस रवाना होकर आ गया। पटवारी संभवतया मेरे पर गुस्सा होकर मेरा काम नही करना चाहता है। चुंक पटवारी द्वारा रिश्वति राशि प्राप्त नहीं की अतः आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया जाकर तत्पश्चात परिवादी के पास संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु शर्मा से निकलवाया जाकर फर्द पेशकशी से मिलान कर रिश्वति राशि को एक सफेद कागज में लपेटकर गवाह श्री विष्णु शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी को मुनासिब हिदायत कर वहीं पर छोड कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुआ। दिनांक 20.05.2025 को समय 11.00 एएम पर परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसने एक प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि पटवारी को सक सूबे होने से मेरे से रिश्वत राशि नहीं लिया मेरा कोई काम पटवारी के पास पैडिंग नहीं है। पटवारी द्वारा मेरी लोन फायल रिपोर्ट कर दी है अब मेरे से उक्त रिश्वत राशि नहीं ले रहा अतः मेरी उक्त राशि मुझे लौटाने की कृपा करे। परिवादी द्वारा रिश्वति राशि लौटाने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं है। अतः प्रकरण के स्वतंत्र गवाहान को तलब किया जाकर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को निकालकर विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर दिनांक 03.04.2025 को परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल पर की गई वार्ता जो परिवादी के मोबाईल के स्पीकर को लाउड करके विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था तथा दिनांक 07.04.2025 की रिश्वत लेन-देन पूर्व की रिकार्ड उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द ट्रास्क्रिप्ट व डीवीडियां नियमानुसार तैयार की गई। तत्पश्चात परिवादी को उसके द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये 1000/ रूपये सुपुर्द किए गये। उक्त ट्रेप कार्यवाही में अब तक की कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री कल्याण सहाय सैनी के जायज कार्य के एवज में 1000/ रूपये की मांग करना और परिवादी से1000/ रूपये मनमोहन (प्राईवेट व्यक्ति) को दिलवाने की बात कहना एवं दिनांक 03.04.2025 को ट्रेप का आयोजन किये जाने पर अवकाश पर रहने के दौरान परिवादी से हुई मोबाईल वार्ता पर मनमोहन (प्राईवेट व्यक्ति) से बात करने के लिए कहना जिस पर परिवादी द्वारा मनमोहन से वार्ता नहीं की गयी। दिनांक 07.04.2025 को पुनः ट्रेप का आयोजन किये जाने पर संदेह होने पर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की। इस प्रकार संदिग्ध श्री मनोज कुमार मीना पटवारी पटवार हल्का ग्राम दुधी आमलोदा जिला कोटपूतली बहरोड एवं श्री मनमोहन (प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) के तहत अपराध की श्रेणी में आने पर उक्त पटवारी श्री मनोज कुमार मीना व श्री मनमोहन (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने की अनुशंसा के साथ रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। भवदीय (राजकुमार शर्मा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ....कार्यवाही पुलिस........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजकुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री मनोज कुमार मीना पुत्र श्री कैलाश चंद मीना उम्र-33 साल निवासी बादशाहपुर पोस्ट बिहाजर तहसील विराटनगर हाल पटवारी पटवार हल्का दुधी आमलोदा तहसील विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोड़ एवं 2- श्री मनमोहन पुत्र श्री हरसहाय भाटी जाति गुर्जर उम्र-30 साल निवासी-वार्ड नम्बर 01 गांव कल्यापुरा मु.पो.दुधी आमलोदा तहसील विराटनगर जिला कोटपुतली-बहरोड़ (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 1088 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 951-54 दिनांक 27.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2.जिला कलक्टर कोटपुतली-बहरोड़, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ,4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ग्रामीण,जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।जयपुर ग्रामीण जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan.IN
Date: 27/06/2025 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)